



सत्यमेव जयते

लेखे एक नज़र में 2019-20

महालेखा नियंत्रक

व्यय विभाग

वित्त मंत्रालय

लेखे एक नज़र में 2019-20

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण	10
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	24
विनियोग लेखे	29
शब्दावली	33
परिशिष्ट	39
1. दस वर्षीय सारांश	40
2. करेतर राजस्वों का विवरण	42
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	43
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	44
5. मुख्य मदों में राजस्व-पूँजीगत-वार व्यय	46
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	48
7. सहायिकियों का विवरण	56
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	59
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा	76
10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	77
11. विनियोग लेखे 2019-20 का सारांश	84
12. वस्तु शीर्षवार व्यय 2019-20	96



लेखे एक नज़र में 2019-20

भूमिका

‘लेखे एक नज़र में’ संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित ब्योरेवार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

कार्य का आवंटन नियमावली, 1961 के अधीन, लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्ति, महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय का दायित्व है। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के संघ वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है जो कि भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण होते हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किए जाने के पश्चात् इन्हें संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन देन और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 90 अनुदान) शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा

2019-2020 के दौरान, कुल प्राप्तियां ₹26,86,870 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्ति ₹20,07,579 करोड़ थी जिसमें से ₹6,50,677 करोड़ (सकल का 32%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके करों के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹13,56,902 करोड़ था। कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां ₹17,52,679 करोड़ थीं जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹9,34,191 करोड़ का अंतर था जिसे 2019-20 के दौरान उधारों के माध्यम से पूरा किया गया है।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹26,86,870 करोड़ था जिसमें से, राजस्व व्यय ₹23,50,605 करोड़ (87%) और पूंजीगत व्यय ₹3,36,265 करोड़ (13%) था। वर्ष 2018-19 में व्यय ₹23,15,113 करोड़ से 16% बढ़ गया था।


वित्तीय विशेषताएं 2019-20 (₹ करोड़)					
	विवरण	संशोधित अनुमान* 2019-20	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2018-19	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	राजस्व प्राप्तियां	18,50,101	16,84,059	15,53,011	8%
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	15,04,587	13,56,902	13,17,211	3%
3	करोत्तर राजस्व	3,45,514	3,27,157	2,35,800	39%
4	करोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	81,605	68,620	1,12,684	-39%
5	कर्जों की वसुलियाँ	16,605	18,316	17,957	2%
6	अन्य प्राप्तियां	65,000	50,304	94,727	-47%
7	कुल करोत्तर प्राप्तियां (1+4)	19,31,706	17,52,679	16,65,695	5%
8	राजस्व व्यय	23,49,645	23,50,605	20,07,399	17%
9	जिसमें से ब्याज अदायगियाँ	6,25,105	6,12,070	5,82,648	5%
10	जिसमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,91,737	1,87,342	1,91,220	-2%
11	पूंजीगत व्यय	3,48,907	3,36,265	3,07,714	9%
12	कुल व्यय (8+11)	26,98,552	26,86,870	23,15,113	16%
13	राजस्व घाटा (8-1)	4,99,544	6,66,546	4,54,388	47%
14	प्रभावी राजस्व घाटा (13-10)	3,07,807	4,79,204	2,63,168	82%
15	राजकोषीय घाटा (12-7)	7,66,846	9,34,191	6,49,418	44%
16	प्राथमिक घाटा (15-9)	1,41,741	3,22,121	66,770	382%

* 1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।

2. तुलना के लिए वर्ष 2019-20 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।


पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल कर प्राप्तियां ₹7,89,172 करोड़ (2010-11) से तीन गुना बढ़कर ₹20,07,579 करोड़ [2019-20] हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष [2019-20] के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 9.87% था। ऐसा इसलिए हुआ कि जब वास्तविक संग्रहण में वृद्धि हुई तो सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10.44% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.65% रहा। करेतर राजस्व वर्ष [2010-11] में सकल घरेलू उत्पाद का 2.85% था वह वर्ष [2019-20] में कम होकर 1.61% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां




राजस्व व्यय में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह पिछले वर्ष के दौरान 10.56% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 11.56% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.65% था। 2009-2019 दशक के दौरान, राजस्व व्यय औसत सकल घरेलू उत्पाद का 11.82% और पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.72% रहा। 2019-20 में भी अंतिम अनुदान में सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) का प्रावधान ₹94,50,659 करोड़ था, वास्तविक सकल व्यय ₹91,34,890 करोड़ था, जिससे ₹3,15,769 करोड़ की बचत हुई।

भारत सरकार का व्यय



*वर्ष 2019-20 का सकल घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर ₹203.40 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने 29 मई, 2020 के प्रेस नोट द्वारा जारी अंतिम अनुमानों में दर्शाया गया है।

2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 65% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹9,34,191 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹6,66,546 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.59% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.28% था।



सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

दशक के दौरान वर्षवार सकल घरेलू उत्पाद मूल्यों ने वृद्धि का प्रतिमान दर्शाया है और यह 2010-2011 में ₹76.64 लाख करोड़ से 2019-20 में तीन गुना बढ़कर ₹203.40 लाख करोड़ हो गया।

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में)
2010-2011	76.74
2011-2012	89.12
2012-2013	101.13
2013-2014	113.55
2014-2015	126.54
2015-2016	135.76
2016-2017	151.84
2017-2018	167.73
2018-2019	190.10
2019-2020*	203.40

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी अनंतिम अनुमान जो 29 मई, 2020 को प्रकाशित किए गए।

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹9,34,191 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹8,69,222 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹8,682 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाया गया संसाधन जो कि घाटे से कम था, के परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में ₹4,970 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के अंत में रोकड़ शेष ₹ (-)2,241 करोड़ था।

घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)				
विवरण	2019-20		2018-19	
आंतरिक ऋण	8,69,222	93%	5,53,374	85%
बाजार कर्ज	4,85,986	52%	3,18,897	49%
खजाना बिल	70,103	7%	6,897	1%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	6,358	1%	2,323	0%
अन्य	3,06,775	33%	2,25,257	35%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	8,682	1%	5,519	1%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	4,970	1%	(-)1,321	0%
लोक लेखा	51,317	5%	91,846	14%
कुल वित्तपोषण	9,34,191	100%	6,49,418	100%

ऋण और अन्य देयताएं


वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹73,01,387 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹63,26,549 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹9,74,838 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹83,19,740 करोड़ था। वर्ष 2019-20 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹90,55,482 करोड़ था और कुल देयताएं ₹91,99,064 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2019	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2020	वृद्धि/कमी
ऋण*	73,44,902	73,01,387	63,26,549	83,19,740	9,74,838
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	5,79,609	12,12,818	12,17,547	5,74,880	(-) 4,729
ब्याज वाली अन्य देयताएं	2,11,436	54,015	1,04,589	1,60,862	(-)50,574
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	91,074	6,61,617	6,09,109	1,43,582	52,508
कुल ऋण और अन्य देयताएं	82,27,021	92,29,837	82,57,794	91,99,064	9,72,043

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2010-11 में ₹29,45,992 करोड़ था वह वर्ष 2019-20 में लगभग तीन गुना होकर ₹85,65,884 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर], जोकि वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 38.39% था वह 2019-20 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 42.11% हो गया। 2019-20 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 39.43% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 2.68% था।

भारत सरकार का ऋण



प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

- * बाह्य ऋण (₹2,99,250 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹5,44,394 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹85,64,884 करोड़ होगी।
- ** 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹15,74,289 करोड़ है। इसमें से ₹1,09,462 करोड़ संचित घाटा है, ₹4,40,438 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹3,66,546 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में किया गया और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹82,963 करोड़ निजी प्रबंधकों के पास निवेश किए गए और इस प्रकार इस लेखे में ₹5,74,880 करोड़ की बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2019-20 के दौरान, सरकार ने ₹17,52,679 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹72,04,453 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार ₹89,57,132 करोड़ थीं। इसमें से, ₹63,26,549 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹26,86,870 करोड़ सरकार के चालू कार्यक्रमों पर व्यय किए गए। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि से कुल ₹90,13,419 करोड़ का व्यय हुआ। जिसके कारण ₹56,287 करोड़ का घाटा हुआ जिसे लोक लेखा और कम रोकड़ आहरण द्वारा पूरा किया गया।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग (₹ करोड़)					
स्रोत			अनुप्रयोग		
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
राजस्व	17,52,679	16,65,695	व्यय	26,86,870	23,15,113
कर	13,56,902	13,17,211	राजस्व	23,50,605	20,07,399
करेतर	3,27,157	2,35,800	ब्याज अदायगी	6,12,070	5,82,648
ऋणोत्तर पूंजी	68,620	1,12,684	पूंजीगत	3,36,265	3,07,714
अन्य स्रोत	72,60,740	67,14,363	अन्य अनुप्रयोग	63,26,549	60,64,945
नया ऋण	72,04,453	66,23,838	ऋण की पुनर्दायगी	63,26,549	60,64,945
आन्तरिक	71,61,880	65,87,580	आन्तरिक	62,92,658	60,34,206
बाह्य	42,573	36,258	बाह्य	33,891	30,739
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	4,970	(-) 1,321			
लोक लेखा	51,317	91,846			
जोड़	90,13,419	83,80,058	जोड़	90,13,419	83,80,058

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2019-20 के दौरान कर प्राप्तियों में 3% की वृद्धि हुई और करेतर प्राप्तियों में 39% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 8% की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 16% की वृद्धि हुई, साथ ही राजस्व व्यय में 17% की और पूंजीगत व्यय में 9% की वृद्धि हुई।

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

प्राप्तियां

2019-20 के दौरान केंद्रीय सरकार का निवल कर राजस्व ₹13,56,902 करोड़ था जो कि संशोधित अनुमानों का 90.18% और करेतर राजस्व (₹3,27,157 करोड़) संशोधित अनुमानों का 94.69% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹15,84,059 करोड़) संशोधित अनुमानों का 91.03% थीं।

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (₹68,620 करोड़) जिनमें मुख्य रूप से विनिवेश प्राप्तियां और कर्जों एवं अग्रियों की वसूलियां शामिल होती हैं, संशोधित अनुमानों का 84.09% थीं। सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां इस प्रकार ₹17,52,679 करोड़ थीं जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय (₹26,86,870 करोड़) से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹9,34,191 करोड़ कम थीं। 'ऋण वित्तीयन' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 121.82% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियां ₹9,29,221 करोड़ थीं जो संशोधित अनुमानों का 121.17% थीं। सरकार की आरक्षित नकदी ₹4,970 करोड़ घट गई।

प्राप्तियां 2019-20 (₹ करोड़)					
	संशोधित अनुमान (2019-20)	वास्तविक राशि (2019-20)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2018-19)	
1	राजस्व प्राप्तियां				
	कर राजस्व				
	सकल कर राजस्व	21,63,423	20,10,059	92.91	20,80,465
	केंद्रीय माल और सेवा कर	5,14,000	4,94,071	96.12	4,57,534
	एकीकृत माल और सेवा कर	0	9,125	—	28,945
	जीएसटी मुआवजा उपकर	98,327	95,553	97.18	95,080
	निगम कर	6,10,500	5,56,876	91.22	6,63,572
	आय पर कर	5,59,500	4,92,401	85.81	4,61,488
	धन कर	0	18	—	40
	सीमा शुल्क	1,25,000	1,09,283	87.43	1,17,813
	संघ उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर	2,48,012	2,41,242	96.55	2,30,992
	सेवा कर	1,200	6,029	502.42	6,904
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	6,884	5,461	79.33	5,273
	घटाएं - राष्ट्रीय विपत्ति				
	आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय				
	आपदा मोचन निधि को				
	अंतरित एनसीसीडी	2,790	2,480	88.89	1,800
	घटाएं - राज्यों का भाग	6,56,046	6,50,677	99.18	7,61,454
	1 (क) केन्द्र का निवल कर राजस्व	15,04,587	13,56,902	90.18	13,17,211

	संशोधित अनुमान (2019-20)	वास्तविक राशि (2019-20)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2018-19)	
2	करेतर राजस्व				
	ब्याज प्राप्तियां	11,027	12,349	111.99	12,145
	लाभांश और लाभ	1,99,893	1,86,133	93.12	1,13,420
	बाह्य अनुदान	974	373	38.29	1,063
	अन्य करेतर राजस्व	1,31,525	1,26,540	96.21	1,07,282
	संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	2,094	1,762	84.14	1,890
	कुल करेतर राजस्व	3,45,513	3,27,157	94.69	2,35,800
	कुल राजस्व प्राप्तियां I (1 क + 2)	18,50,100	16,84,059	91.03	15,53,011
3	पूंजीगत प्राप्तियां				
क	ऋणोत्तर प्राप्तियां				
	कर्जों और अग्रिमों की वसूलियां @	16,605	18,316	110.30	17,957
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	65,000	50,304	77.39	94,727
	कुल	81,605	68,620	84.09	1,12,684
ख	ऋण प्राप्तियां*				
	उधार	4,98,972	5,56,089	111.45	4,36,294
	अल्प बचतों पर जारी प्रतिभूतियां	2,40,000	2,40,000	100.00	1,25,000
	राज्य भविष्य निधि (निवल)	18,000	11,635	64.64	16,059
	अन्य प्रप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे)	4,941	1,12,813	2,283.22	67,867
	बाह्य ऋण	4,933	8,682	176.00	5,519
	कुल	7,66,846	9,29,221	121.17	6,50,739
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	8,48,451	9,97,841	117.61	7,63,423
4	रोकड़ शेष की आहरण द्वारा कमी	0	4,970	0	-1,321
	कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4)	26,98,551	26,86,870	99.57	23,15,113
	राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)	7,66,846	9,34,191	121.82	6,49,418
	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	0	0	0	0

* ये प्राप्तियां पुनर्भदायगियों का निवल हैं।

@ इसमें राज्यों से अल्पवधि कर्ज और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि से ₹331 करोड़ की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

व्यय

2019-20 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹26,86,870 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 99.57% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 100.04% था जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 96.38% था। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमान का 110.05% था और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमान का 59.17% था।

रक्षा सेवा, अन्य सामान्य सेवाओं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान, बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के खर्च पर व्यय तथा बाद का घाटा संशोधित अनुमान से बढ़ गया, जबकि राजस्व खण्ड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमान से कम हो गए। पूंजीगत खंड में, रक्षा सेवाओं, विदेशी सरकारों को ऋण तथा अन्य ऋणों पर व्यय भी संशोधित अनुमान से अधिक हो गया।

व्यय 2019-20 (₹ करोड़)					
		संशोधित अनुमान (2019-20)	वास्तविक राशि (2019-20)	संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2018-19)
क	राजस्व व्यय				
1	ब्याज अदायगियां और समयपूर्व अदायगी प्रीमियम	6,25,105	6,12,070	97.91	5,82,648
2	रक्षा सेवा	2,05,902	2,07,572	100.81	1,95,572
3	सहायिकियां	2,63,557	2,62,304	99.52	2,24,979
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	4,75,152	5,22,912	110.05	3,75,997
5	पेंशन	1,84,147	1,83,955	99.90	1,60,212
6	पुलिस	90,625	89,867	99.16	80,406
7	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता	2,790	2,480	88.89	1,800
8	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	47,480	48,283	101.69	40,761
9	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	1,30,593	1,26,262	96.68	98,104
10	आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	2,96,653	2,63,687	88.89	2,17,943

	संशोधित अनुमान (2018-19)	वास्तविक राशि (2018-19)	संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2017-18)
11 डाक घाटा	11,641	14,813	127.25	13,977
12 बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	10,912	11,062	101.37	10,085
13 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	-2,790	-2,480	88.89	-1,800
14 विदेशी सरकारों को अनुदान	7,878	7,820	99.27	6,715
कुल राजस्व योजनेतर व्यय	23,49,645	23,50,605	100.04	20,07,399
ख पूंजीगत व्यय				
1 सामान्य सेवाएं	1,23,752	1,24,807	100.85	1,12,921
जिनमें से रक्षा सेवाएं	1,10,394	1,11,092	100.63	95,231
2 समाज सेवाएं	9,599	9,492	98.89	9,149
3 आर्थिक सेवाएं	1,86,751	1,76,109	94.30	1,55,822
4 कर्ज तथा अग्रिम	27,330	24,414	89.33	28,221
जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	7,266	4,299	59.17	9,607
जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज	803	803	100.00	495
जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित कर्ज	19,263	19,312	100.26	18,119
5 बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय	1,476	1,443	97.79	1,601
कुल पूंजीगत व्यय	3,48,907	3,36,265	96.38	3,07,714
कुल व्यय (क+ख)	26,98,552	26,86,870	99.57	23,15,113

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)			
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
	देयताएं	91,99,564	82,27,521
क.	लोक ऋण	83,19,740	73,44,902
	1. आंतरिक ऋण	80,20,490	70,74,942
	2. बाह्य ऋण	2,99,250	2,69,960
ख.	आकस्मिकता निधि	500	500
ग.	लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	8,79,324	8,82,119
	1. आरक्षित निधियां	36,502	26,091
	2. जमा और अग्रिम	2,67,942	2,76,419
	3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	5,74,880	5,79,609
	परिसम्पत्तियां	91,99,564	82,27,521
क.	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	48,332	1,25,421
	1. रोकड़ शेष	-2,241	2,729
	2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	50,573	1,22,692
ख.	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	12,19,394	10,50,667
	1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	8,80,923	7,39,873
	2. कर्ज तथा अग्रिम	3,38,471	3,10,794
	क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1,80,814	1,71,531
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,57,657	1,39,263
	3. उचत और विविध	-1,49,194	-23,043
ग.	संचित घाटा*	80,81,032	70,74,476

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2019-20)-सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण (₹ करोड़)		
	2019-20	2018-19
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	19,48,083	18,06,463
कर राजस्व	13,59,382	13,19,011
करेतर राजस्व	5,88,328	4,86,389
सहायता अनुदान	373	1,063
अन्य प्राप्तियां	50,350	94,979
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	9,010	4,449
अन्य	41,340	90,530
कुल प्राप्तियां	19,98,433	19,01,442
व्यय		
राजस्व लेखा	26,15,319	22,61,571
सामान्य सेवाएं	12,12,505	11,02,022
सामाजिक सेवाएं	1,35,769	1,07,414
आर्थिक सेवाएं	7,36,314	6,69,423
सहायता अनुदान	5,30,731	3,82,712
पूँजीगत लेखा	3,87,744	3,99,523
सामान्य सेवाएं	1,24,994	1,13,089
सामाजिक सेवाएं	9,899	9,823
आर्थिक सेवाएं	2,52,851	2,76,611
विविध	3,108	2,942
कुल व्यय	30,06,171	26,64,036
पूर्व अवधि समायोजन	-1,182	745
घाटा*	10,06,556	7,63,339

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2019-20)-सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।


प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण		
(₹ करोड़)		
	2019-20	2018-19
प्राप्तियां	1,14,54,582	1,04,35,399
भारत की समेकित निधि	93,18,467	86,90,181
कर राजस्व	13,59,382	13,19,011
करेतर राजस्व	5,88,328	4,86,389
सहायता अनुदान और अंशदान	373	1,063
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	50,350	94,979
लोक ऋण	73,01,387	67,58,482
कर्ज तथा अग्रिम	18,647	30,257
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	21,36,115	17,45,218
अल्प बचतें, भविष्य निधि	12,12,818	10,04,322
आरक्षित निधियां	4,28,913	3,21,859
जमा तथा अग्रिम	3,52,121	3,65,461
उचंत और विविध	1,08,372	52,577
प्रेषण	33,891	999
संवितरण	1,14,59,552	1,04,34,078
भारत की समेकित निधि	93,74,754	87,80,707
सामान्य सेवाएं	12,12,505	11,02,022
सामाजिक सेवाएं	1,35,769	1,07,414
आर्थिक सेवाएं	7,36,314	6,69,423
सहायता अनुदान और अंशदान	5,30,731	3,82,712
पूंजीगत परिव्यय	3,87,744	3,99,523
ऋण की पुनर्दायगी	63,26,549	60,64,945
कर्ज तथा अग्रिम	45,142	54,668
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	20,84,798	16,53,371
अल्प बचतें, भविष्य निधि	12,17,547	9,78,883
आरक्षित निधियां	4,18,502	3,40,157
जमा तथा अग्रिम	3,66,348	2,99,172
उचंत और विविध	79,378	29,254
प्रेषण	3,023	5,905
संवितरणों पर प्राप्तियां	-4,970	1,321
प्रारंभिक रोकड़ शेष*	2,729	1,408
अंत रोकड़ शेष	-2,241	2,729

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2019-20) - सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। 2019-20 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों का लगभग 77% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (19%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (4%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, संघ उत्पाद शुल्क, सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में इनका अंशदान लगभग 66% रहा। ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (19%), वस्तु एवं सेवा कर (18%), आयकर (17%), संघ उत्पाद शुल्क (12%), सीमा शुल्क (4%), वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (11%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (4%) हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2019-20)



2019-20 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹17,52,679 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹13,17,211 करोड़ से 3% बढ़कर ₹13,56,902 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व ₹2,35,800 करोड़ से 39% बढ़कर ₹3,27,157 करोड़ हो गया। करेतर पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 39% की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में 5% की समग्र वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान सरकार की ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹39,224 करोड़ शामिल हैं।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2019-20	2018-19	वृद्धि
कर राजस्व	13,56,902	13,17,211	3%
करोत्तर राजस्व	3,27,157	2,35,800	39%
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	68,620	1,12,684	-39%
कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां	17,52,679	16,65,695	5%

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2018-19 के ₹13,17,211 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹13,56,902 करोड़ हो गया। निगम कर में 8% की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर में 68% की कमी हुई। आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 4% की वृद्धि हुई। संघ राज्य क्षेत्रों का कर भी 4% बढ़ा।

कर राजस्व (₹ करोड़)								
विवरण	2019-20			2018-19			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि	
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल		
1 क वस्तु एवं सेवा कर	4,94,071	1,84,641	3,09,430	4,57,534	1,87,965	2,69,569	8%	
ख एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	9,125	-	9,125	28,945	15,001	13,944	-68%	
ग वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर	95,553	-	95,553	95,080	-	95,080	0%	
2 निगम कर	5,56,875	2,21,851	3,35,024	6,63,572	2,64,841	3,98,731	-16%	
3 आय कर	4,80,097	1,73,679	3,06,419	4,61,488	1,95,044	2,66,444	4%	
4 ब्याज कर	2	-	2	3	-	3	-34%	
5 अनुषंगी हितलाभ कर	-135	-	-135	-32	-	-32	328%	
6 व्यय कर	63	-	63	16	1,379	-1,363	300%	
7 धन कर	18	10	8	40	97	-57	-54%	
8 प्रतिभूति लेनदेन	12,374	-	12,374	11,527	-	11,527	7%	
9 सीमा शुल्क	1,09,282	41,327	67,955	1,17,813	53,982	63,831	-7%	
10 संघ उत्पाद शुल्क	2,39,453	28,761	2,10,692	2,30,992	35,874	1,95,118	4%	
11 सेवा कर	6,029	-	6,029	6,904	6,878	26	-13%	
12 अन्य कर तथा माल एवं सेवा पर शुल्क	1,162	408	754	989	393	596	17%	
13 अन्य कर	628	-	628	321	-	321	96%	
14 संघ राज्य क्षेत्रों के कर	5,461	-	5,461	5,273	-	5,273	4%	
15 एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	-2,480	-	-2,480	(-) 1,800	-	(-) 1,800	38%	
	20,07,579	6,50,677	13,56,902	20,78,665	7,61,454	13,17,211	-3%	

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में उपार्जित होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2018-19 में ₹2,35,800 करोड़ था वह 2019-20 के दौरान बढ़कर ₹3,27,157 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹91,357 करोड़ की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	12,349	12,145	2%
2.	लाभांश और लाभ	1,86,133	1,13,420	64%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	1,762	1,890	-7%
4.	अन्य करेतर राजस्व	1,26,913	1,08,345	17%
कुल करेतर राजस्व		3,27,157	2,35,800	39%

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोद्भूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 14% है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (2%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता है।

2019-20 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹56,964 करोड़ थीं। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹29,798 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को छोड़कर सभी खण्डों में ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7,696	7,403	7,358	7,608
2.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,410	1,397	1,606	1,503
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	889	2,439	17,374	4,628
4.	अन्य	46,969	15,927	19,394	29,757
कुल		56,964	27,166	45,732	43,496

लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश जो कि ₹72,715 करोड़ बढ़ गया, जो कि 2018-19 के दौरान ₹1,13,427 करोड़ था, 2019-20 में ₹1,86,142 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश में अत्यधिक वृद्धि होकर यह 200% से भी अधिक हुई, जबकि अन्य खण्डों से लाभांश में कमी आई।

लाभांश - मुख्य स्रोत (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	35,509	43,049	46,495	53,195
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,611	2,261	2,376	2,502
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	-	108	1,826	1,445
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	1,47,988	68,000	40,659	65,876
5.	अन्य	34	9	11	3

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। 2019-20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹9,010 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम से ₹39,224 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	9,010	4,449	2,802	2,921
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	39,224	68,171	86,168	32,549
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	2,070	22,107	11,075	12,273
	कुल	50,304	94,727	1,00,045	47,743

संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

2019-20 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹26,86,870 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,71,757 करोड़ [16%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹23,50,605 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹3,43,206 करोड़ [17%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹3,36,265 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹28,551 करोड़ [9%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 13% था।

व्यय (₹ करोड़)			
विवरण	2019-20	2018-19	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
राजस्व	23,50,605	20,07,399	17%
सामान्य सेवाएं	11,43,666	10,61,338	8%
सामाजिक सेवाएं	1,33,289	1,05,532	26%
आर्थिक सेवाएं	5,42,919	4,57,817	19%
सहायता अनुदान और अंशदान	5,30,731	3,82,712	39%
पूंजीगत	3,36,265	3,07,714	9%
सामान्य सेवाएं	1,24,994	1,13,089	11%
सामाजिक सेवाएं	9,899	9,823	1%
आर्थिक सेवाएं	1,76,958	1,56,581	13%
कर्ज एवं अग्रिम	24,414	28,221	-13%
कुल व्यय	26,86,870	23,15,113	16%


क्षेत्रवार व्यय (₹ करोड़)			
विवरण	2019-20	2018-19	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
सामान्य सेवाएं	12,68,660	11,74,427	8%
सामाजिक सेवाएं	1,43,188	1,15,355	24%
आर्थिक सेवाएं	7,19,877	6,14,398	17%
जीआईए एवं अंशदान	5,30,731	3,82,712	39%
कर्ज एवं अग्रिम	24,414	28,221	-13%
कुल व्यय	26,86,870	23,15,113	16%

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹3,11,851 करोड़ (93%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (7%) के रूप में थे।

(₹ करोड़)					
वर्ष	परिसंपत्ति निर्माण		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2010-11	1,31,620	84%	24,985	16%	1,56,605
2011-12	1,30,575	82%	28,005	18%	1,58,580
2012-13	1,45,144	87%	21,714	13%	1,66,858
2013-14	1,68,478	90%	19,197	10%	1,87,676
2014-15	1,67,463	85%	29,218	15%	1,96,681
2015-16	2,26,685	90%	26,337	10%	2,53,022
2016-17	2,49,472	87%	36,810	13%	2,86,282
2017-18	2,45,112	93%	18,027	7%	2,63,139
2018-19	2,79,493	92%	28,221	8%	3,07,714
2019-20	3,11,851	93%	24,414	7%	3,36,265

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹12,68,660 करोड़ (कुल व्यय का 47%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹1,43,188 करोड़ (कुल व्यय का 5%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹7,19,877 करोड़ (कुल व्यय का 27%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹5,30,731 करोड़ (कुल व्यय का 20%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹24,414 करोड़ (कुल व्यय का 1%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।



आर्थिक सहायता

आर्थिक सहायताओं पर व्यय जो कि वर्ष 2018-19 में ₹2,24,979 करोड़ था वह 2019-20 में बढ़कर ₹2,62,304 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹1,08,688 करोड़, ₹81,124 करोड़ तथा ₹38,529 करोड़ थी। खाद्य सब्सिडी में पिछले वर्ष से 7% की वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम की एन.एस.एस.एफ. से कर्ज की राशि ₹1,10,000 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सब्सिडी में 55% की वृद्धि हुई और उर्वरक सब्सिडी में 15% की वृद्धि हुई। अन्य मदों के सब्सिडी बिल में 20% की वृद्धि हुई।

मुख्य आर्थिक सहायता (₹ करोड़)			
विवरण	2019-20	2018-19	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	1,08,688	1,01,327	7%
उर्वरक	81,124	70,605	15%
पेट्रोलियम	38,529	24,837	55%
अन्य	33,963	28,210	20%
कुल	2,62,304	2,24,979	17%

ब्याज आर्थिक सहायता 2019-20 में ₹23,703 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,064 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।
2. आर्थिक सहायताओं के ब्योरो को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

(₹16,219 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी। अन्य आर्थिक सहायताएं भी 2018-19 में ₹9,571 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹10,260 करोड़ हो गईं।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। 2019-20 के दौरान, सरकार ने ₹45,142 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्दायगी के रूप में ₹18,647 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹26,495 करोड़ की वृद्धि हुई। 2019-20 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹3,38,471 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)						
क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-19	वृद्धियां	प्राप्तियां	31-मार्च-20	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	1,67,384	24,681	15,551	1,76,514	9,130
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	4,147	225	72	4,300	153
3.	विदेशी सरकारें	13,558	803	133	14,228	670
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	1,26,728	19,288	2,770	1,43,246	16,518
5.	सरकारी कर्मचारी	159	145	121	183	24
कुल		3,11,976	45,142	18,647	3,38,471	26,495

निवेश

2019-20 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹1,38,624 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹11,28,169 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (₹ करोड़)		
क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	7,648
2.	सरकारी कंपनियां	5,19,151
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	1,57,255
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	4,43,838
5.	सहकारी समितियां	277
कुल		11,28,169


व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च 2020 को सरकार की कुल देयताएं ₹91,99,064 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹80,20,490 करोड़ (87%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹2,99,250 करोड़ (3%) और अन्य देयताएं ₹8,79,324 करोड़ (10%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च 2020 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹83,19,740 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹73,44,902 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 13% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2020 को चालू विनिमय दर पर ₹85,64,884 करोड़ था जबकि 31.3.2019 को यह ₹75,49,380 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियाँ भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि जोकि वर्ष के प्रारंभ में ₹70,74,941 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹80,20,490 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज में ₹4,85,986 करोड़ की वृद्धि होकर वह ₹59,86,127 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	1 अप्रैल, 2019	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2020	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	55,00,141	8,74,821	3,88,835	59,86,127	4,85,986
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	1,06,523	1,021	5,635	1,01,909	-4,614
364 दिन के खजाना बिल	2,08,896	2,17,670	2,08,896	2,17,670	8,774
अर्थोपाय अग्रिम	-	11,79,582	11,79,582	-	-
14 दिन के खजाना बिल	1,22,335	33,55,189	33,22,613	1,54,911	32,576
विक्रेय प्रतिभूतियां	47,688	-	12,000	35,688	-12,000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	-	64,569	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	2,08,419	2,00,891	22,413	3,86,897	1,78,478
पीएलआई के अतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां	20,894	-	-	20,894	-
अन्य	7,95,476	14,09,033	11,52,684	10,51,825	2,56,349
कुल आंतरिक ऋण	70,74,941	72,38,207	62,92,658	80,20,490	9,45,549

बाह्य ऋण

2019-20 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹2,99,250 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 3.6% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2020 की स्थिति के अनुसार] यह ₹5,44,394 करोड़ है - इसमें 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹4,74,439 करोड़ में ₹69,955 करोड़ की वृद्धि हुई।

ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट-9 पर है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	1 अप्रैल 2019	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2020	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	50,735	8,039	13,803	44,971	-5,764	1,62,506
जापान	89,993	15,314	5,939	99,368	9,375	1,44,445
एशियाई विकास बैंक	67,603	12,594	4,895	75,302	7,699	1,03,062
जर्मनी	2,775	2,165	1,164	3,776	1,001	17,433
आईबीआरडी	45,693	16,095	6,688	55,100	9,407	82,787
आईएफएडी	1,537	447	128	1,856	319	3,577
संयुक्त राज्य अमरीका	(-) 1,345	275	174	-1,244	101	605
अन्य	12,969	8,251	1,099	20,121	7,152	29,979
कुल बाह्य ऋण	2,69,960	63,180	33,890	2,99,250	29,290	5,44,394

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	1 अप्रैल, 2018	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2019	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	1,271	175	69	1,377	106
जर्मनी	यूरो	199	26	15	210	11
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	976	224	94	1,106	130
आईडीए	अमरीकी डालर	228	40	21	247	19
आईडीए	एसडीआर	1,477	43	126	1,394	-83
जापान	येन	1,96,500	21,521	8,922	2,09,099	12,599
रूसी परिसंघ	₹	508	-	27	481	-27
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	145	39	11	173	28

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च 2020 को लोक लेखे में ₹8,79,324 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹7,35,742 करोड़ की थीं और शेष ₹1,43,582 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2019	वृद्धि	उन्मोचन	31 मार्च 2020	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	5,79,609	12,12,818	12,17,547	5,74,880	-4,729
अन्य ब्याज वाली	2,11,436	54,015	1,04,589	1,60,862	-50,574
आरक्षित निधियाँ	13,007	24,291	51,090	-13,792	-26,799
जमा	1,98,429	29,724	53,499	1,74,654	-23,775
अन्य-बिना ब्याज वाली	91,074	6,61,617	6,09,109	1,43,582	52,508
आरक्षित निधियाँ	13,084	4,04,622	3,67,411	50,295	37,211
जमा	77,990	2,56,995	2,41,698	93,287	15,297
कुल	8,82,119	19,28,450	19,31,245	8,79,324	-2,795

* 31 मार्च, 2020 को लघु बचत, भविष्य निधि आदि में केंद्र सरकार की कुल देयता ₹15,74,289 करोड़ है। इसमें से ₹1,09,462 करोड़ संचित घाटा है, ₹4,40,438 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश, विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ₹3,66,546 करोड़ का निवेश, ₹82,963 करोड़ पीओएलआईएफ से संबंधित हैं जो निजी निधि प्रबंधकों के पास निवेश किए गए, इस प्रकार इसमें ₹5,74,880 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

2019-20 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹2,80,275 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमशः ₹1,27,504 करोड़ और ₹1,23,314 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹3,04,142 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹1,49,847 करोड़ था वह इस वर्ष के अंत में घटकर ₹1,30,170 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2018	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2019	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	15,01,608	9,74,165	5,66,386	19,09,387	4,07,779
संग्रहण	15,01,608	8,46,661	5,66,386	17,81,883	2,80,275
बचत जमा	7,11,686	6,59,710	4,93,708	8,77,688	1,66,002
बचत प्रमाण पत्र	2,20,311	73,239	41,801	2,51,749	31,438
लोक भविष्य निधि	5,69,611	1,13,712	30,877	6,52,446	82,835
निवेश से आय	-	1,27,504	-	1,27,504	1,27,504
बहिर्वाह	13,51,761	1,18,284	5,45,740	17,79,217	4,27,456
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	13,51,761	1,18,284	4,22,426	16,55,903	3,04,142
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	6,08,919	22,413	2,62,413	8,48,919	2,40,000
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4,71,206	49,471	18,703	4,40,438	-30,768
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	2,71,636	46,400	1,41,310	3,66,546	94,910
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय	-	-	1,23,314	1,23,314	1,23,314
शेष	1,49,847	8,55,881	20,646	1,30,170	-19,677

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल स्टॉक में ₹17,81,883 करोड़ की देयताएं थीं, जिनमें से ₹8,77,688 करोड़ बचत जमाओं के लिए ₹2,51,749 करोड़ बचत प्रमाण-पत्रों के लिए और ₹6,52,446 करोड़ लोक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। 2019-20 के अंत में निधियों का निवेश ₹16,55,903 करोड़ था, जिसमें से ₹4,40,438 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹8,48,919 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹3,66,546 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

31 मार्च, 2020 के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था ₹5,10,479 करोड़ थी, और ₹4,66,881 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2019-20 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹19,255 करोड़ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.09% है। वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल किए गए ₹926 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,070 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां (₹ करोड़)				
	विवरण	31-मार्च-19	31-मार्च-20	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां।	66,158	74,697	8,539
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां।	37,823	47,670	9,847
III	मूलधन की पुनर्दायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां।	3,43,645	3,44,514	869
IV	कंपनियों/निगमों को पूर्तियों के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	—	—	—
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—	—
VII	कोई अन्य	—	—	—
	कुल	4,47,626	4,66,881	19,255

विनियोग लेखे

वर्ष 2019-20 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 96 अनुदानों के अंतर्गत ₹89,61,652 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹4,89,007 करोड़ के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹94,50,659 करोड़ कर दिया गया। ₹94,50,659 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,71,215 करोड़ [5%] अधिक था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹91,34,890 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹38,569 करोड़ की बचत सहित ₹71,37,861 करोड़ था, जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय ₹2,77,200 करोड़ की बचत सहित ₹19,97,029 करोड़ था।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार					
(₹ करोड़)					
	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)=(4)-(2)
प्रभारित	68,04,256	71,76,430	3,72,174	71,37,861	(-) 38,569
स्वीकृत	21,57,396	22,74,229	1,16,833	19,97,029	(-) 2,77,200
कुल	89,61,652	94,50,659	4,89,007	91,34,890	(-) 3,15,769

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 22% था, शेष 78% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

2019-20 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुनर्दायगी' (₹63,26,549 करोड़), 'ब्याज अदायगियां' (₹6,55,372 करोड़) और 'राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण' (₹1,48,378 करोड़) था। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.89% था। विनियोग - "ऋण की पुनर्दायगी" में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹56,43,499 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय के दो दृष्टांत थे।

बजट प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
21	रक्षा पेंशन <i>प्रभारित</i>	5.80	-	7.80	-	2	-
31	राजस्व विभाग	2,43,489	-	2,75,423	-	31,934	-

बचत

2019-20 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹3,15,769 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹31,936 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	35953	कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, स्कीमों के अंतर्गत कम किसानों का पंजीकरण होने तथा राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व स्वीकृत	76983	अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने, राज्य सरकार की ओर से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, भारतीय खाद्य निगम को देय सहायिकी में कटौती होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
		पूंजीगत स्वीकृत	50083	नकदी बाधाओं के कारण एक-ही वित्तीय वर्ष में अग्रिम की अदायगी की व्यवहारियता न होने, वितरण हेतु कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
27	आर्थिक कार्य विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	12051	नई स्कीम शुरू न होने, आईएफसी पूँजी वृद्धि पैकेज को स्वीकार न करने, स्कीम को प्रचालनात्मक न किए जाने तथा लोगों और संस्थाओं की कम भागीदारी होन और कोविड-19 महामारी के कारण उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन होने के कारण अंतिम तिमाही में बहुत कम स्वर्ण जमा होने की वजह से।
35	ब्याज अदायगियाँ	राजस्व प्रभारित	18099	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति/पुनः खरीद दर (रेपो) में कमी करने की वजह से ब्याज दरों में कमी आने, निवेशकों से कम दावे प्राप्त होने, ऋणों के कम वितरण होने और विनिमय दर परिवर्तन के कारण।
36	ऋण की पुनर्अदायगी	पूँजीगत प्रभारित	19840	राज्य सरकारों द्वारा कम मात्रा में निवेश किए जाने, नकदी प्रबंधन बिलों तथा 182 दिवसीय खजाना बिलों को कम मात्रा में जारी किए जाने, ऋण रद्द किए जाने और ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उत्तरवर्ती संशोधन किए जाने के कारण।
38	राज्यों को अंतरण	राजस्व स्वीकृत	6286	निधि जारी किए जाने के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	23570	व्यय धीमी गति से होने की वजह से प्रस्ताव प्राप्त होने में विलम्ब होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	12468	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, स्वच्छ भारत मिशन तथा 100 स्मार्ट शहरों हेतु मिशन के अंतर्गत कम मांग होने और निधियां जारी किए जाने के लिए अपेक्षित मानदण्ड पूरे न होने के कारण।
57	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	15077	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय निवेश नीति का प्रचालन न होने और समग्र शिक्षा योजना तथा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत व्यय के आधार पर निधियों का कम अंतरण होने के कारण।

लेखे एक नज़र में

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	17227	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय निवेश नीति का प्रचालन न होने के कारण।
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	पूंजीगत स्वीकृत	11124	आरक्षित मूल्य संबन्धी बोली की कम दर होने और कोविड-19 लोकडाउन की वजह से क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से बिल प्राप्त न होने के कारण
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	6485	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।

₹ 100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां ‘कार्य का आवंटन नियमावली’ के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत कराना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास एक आकस्मिकता निधि अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन-देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और
- (ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान में परिवर्तित करना आदि)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रूपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रूपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप को ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात् ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात् “8680 - विविध सरकार लेखे” को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित ‘भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक’ के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6-स्तरीय सौपानिक ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए (जैसे वेतन, कार्यालय व्यय)

व्यय लेन देनों को 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उच्चत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उच्चत और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश	40
2. करेतर राजस्वों का विवरण	42
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	43
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	44
5. मुख्य मदों में राजस्व-पूँजीगत वार व्यय	46
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	48
7. सहायिकियों का विवरण	56
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	59
9. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा	76
10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	77
11. विनियोग लेखे 2019-20 का सारांश	84
12. वस्तु शीर्षवार व्यय 2019-20	96

परिशिष्ट-1

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां	7,88,471	7,51,158	8,79,231	10,14,719	11,01,381	11,95,025	13,75,956	14,35,078	15,53,011	16,84,059
सकल कर राजस्व	7,89,172	8,84,900	10,33,424	11,34,084	12,41,424	14,49,958	17,09,372	19,15,492	20,78,665	20,07,579
निगम कर	2,98,688	3,22,816	3,56,326	3,94,678	4,28,925	4,53,229	4,84,924	5,71,202	6,63,572	5,56,876
वस्तु एवं सेवा कर								4,42,561	5,81,559	5,98,729
आयकर	1,39,102	1,64,525	1,96,843	2,37,817	2,58,325	2,80,323	3,40,505	4,08,091	4,61,488	4,80,097
सीमा शुल्क	1,35,813	1,49,328	1,65,346	1,72,085	1,88,016	2,10,338	2,25,370	1,29,030	1,17,813	1,09,283
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,37,701	1,44,901	1,75,845	1,69,455	1,89,038	2,87,148	3,80,495	2,58,636	2,30,992	2,39,452
सेवा कर	71,016	97,509	1,32,601	1,54,778	1,67,969	2,11,414	2,54,499	81,228	6,904	6,029
केन्द्र को निवल कर राजस्व	5,69,869	6,29,486	7,41,877	8,15,854	9,03,615	9,43,765	11,01,372	12,42,487	13,17,211	6,50,677
करेतर राजस्व	2,18,602	1,21,672	1,37,354	1,98,865	1,97,766	2,51,260	2,74,584	1,92,591	2,35,800	3,27,157
व्याज प्राप्तियां	19,718	20,252	20,760	21,868	23,712	25,378	16,229	13,574	12,145	12,349
लाभांश और लाभ	47,991	50,608	53,761	90,435	89,833	1,12,127	1,23,017	91,360	1,13,420	1,86,133
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	35,266	36,938	40,950	41,865	51,475	62,975	65,513	1,15,678	1,12,684	68,620
विनिवेश से आय	1,676	401	2,761	4,231	1,415	1,249	2,921	2,802	4,449	9,010
व्यय	11,97,328	13,04,365	14,10,371	15,59,447	16,63,673	17,90,783	19,79,268	21,41,818	23,15,113	26,86,870
योजना व्यय	3,79,065	4,12,375	4,13,627	4,53,327	4,62,643	4,71,083	5,68,599	0	0	0
योजनेतर व्यय	8,18,263	8,91,990	9,96,744	11,06,120	12,01,030	14,10,669	14,10,669	0	0	0
राजस्व व्यय	10,40,723	11,45,785	12,43,513	13,71,772	14,66,992	15,37,761	16,92,986	18,78,679	20,07,399	23,50,605
पूंजीगत व्यय	1,56,605	1,58,580	1,66,858	1,87,675	1,96,681	2,53,022	2,86,282	2,63,139	3,07,714	3,36,265
उधार ऋणात्मक पुनर्भंडारणी	11,388	1,586	5,441	6,451	15,375	5,394	19,040	11,497	24,411	26,495
राजकोषीय घाटा	3,73,591	5,16,269	4,90,190	5,02,863	5,10,817	5,32,783	5,37,799	5,91,062	6,49,418	9,34,191
राजस्व घाटा	2,52,252	3,94,627	3,64,282	3,57,053	3,65,611	3,42,736	3,17,030	4,43,601	4,54,388	6,66,546
प्रभावी राजस्व घाटा	1,64,765	2,61,036	2,48,572	2,27,214	2,34,851	2,11,781	1,50,470	2,51,081	2,63,168	4,79,204

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रारंभिक घाटा	1,39,569	2,43,119	1,77,020	1,29,296	1,08,373	91,124	57,085	62,110	66,770	3,22,121
लोक ऋण (शेष)	29,45,992	35,53,519	40,96,570	46,15,250	51,04,675	57,11,425	61,49,817	68,46,557	75,49,380	85,64,884
आंतरिक ऋण	26,67,115	32,30,622	37,64,566	42,40,767	47,38,291	53,04,836	57,41,709	64,01,275	70,74,942	80,20,490
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	2,78,877	3,22,897	3,32,004	3,74,483	3,66,384	4,06,589	4,08,108	4,45,282	4,74,439	5,44,394
भारत सरकार की अन्य देयताएं	5,86,457	5,97,766	6,10,016	6,44,061	6,71,010	7,11,608	7,56,448	8,06,929	8,82,119	8,79,324
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	76,74,148	89,12,179	1,01,13,281	1,13,55,073	1,26,53,762	1,35,76,000	1,51,83,709	1,67,73,000	1,90,10,000	2,03,40,000
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत										
राजस्व प्राप्तियां	10.27	8.43	8.69	8.94	8.70	8.80	9.06	8.56	8.17	8.28
सकल कर राजस्व	10.28	9.93	10.22	9.99	9.81	10.68	11.26	11.42	10.93	9.87
वस्तु एवं सेवा कर								2.64	3.06	2.94
करों पर राजस्व	2.85	1.37	1.36	1.75	1.56	1.85	1.81	1.15	1.24	1.61
व्यय	15.60	14.64	13.95	13.73	13.15	13.19	13.04	12.77	12.18	13.21
राजस्व व्यय	13.56	12.86	12.30	12.08	11.59	11.33	11.15	11.20	10.56	11.56
पूंजीगत व्यय	2.04	1.78	1.65	1.65	1.55	1.86	1.89	1.57	1.62	1.65
राजकोषीय घाटा	4.87	5.79	4.85	4.43	4.04	3.92	3.54	3.52	3.42	4.59
राजस्व घाटा	3.29	4.43	3.60	3.14	2.89	2.52	2.09	2.64	2.39	3.28
प्रभावी राजस्व घाटा	2.15	2.93	2.46	2.00	1.86	1.56	0.99	1.50	1.38	2.36
लोक ऋण	38.39	39.87	40.51	40.64	40.34	42.07	40.50	40.82	39.71	42.11
आंतरिक ऋण	34.75	36.25	37.22	37.35	37.45	39.08	37.81	38.16	37.22	39.43
बाह्य ऋण	3.63	3.62	3.28	3.30	2.90	2.99	2.69	2.65	2.50	2.68

परिशिष्ट-2
(₹ करोड़)

करेतर राजस्व 2019-20

विवरण	2019-20			2018-19		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क						
ब्याज प्राप्तियां सकल	50,520.33	56,950.78	113	26,564.46	27,143.68	102
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां ब्याज का अधित्याग	38,191.95 1,301.30	43,300.51 1,301.29	113 100	12,421.77 2,095.37	12,903.72 2,095.37	104 100
निवल	11,027.08	12,348.98	112	12,047.32	12,144.59	101
ख						
लाभांश और लाभ	1,99,892.92	1,86,132.54	93	1,19,264.55	1,13,420.51	95
ग						
संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	2,094.16	1,761.81	84	2,076.00	1,889.53	91
घ						
अन्य करेतर राजस्व						
1. राजकोषीय सेवाएं - अन्य सामान्य सेवाएं	703.65	1,041.06	148	420.50	743.71	177
घटाएं- वाणिज्यिक विभाग	42,433.53	38,120.09	90	35,628.45	39,011.80	109
घटाएं- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	19,703.00	17,812.01	90	16,775.00	19,469.67	116
2. निवल सामान्य सेवाएं	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0.00	0
3. सामाजिक सेवाएं आर्थिक सेवाएं-	21,730.53	20,308.08	93	17,853.45	19,542.13	109
सकल	3,655.18	3,404.20	93	2,690.87	2,998.28	111
घटाएं- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां	1,30,211.82	1,18,497.98	91	1,13,195.59	1,02,280.94	90
घटाएं- वाणिज्यिक विभाग	9.38	8.07	86	8.00	5.92	74
4. निवल आर्थिक सेवाएं	24,766.52	16,702.78	67	22,455.09	17,293.80	77
निवल कुल - अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4)	1,05,435.92	1,01,787.13	97	89,653.70	83,998.04	94
सहायता अनुदान और अंशदान	1,31,525.28	1,26,540.47	96	1,10,618.52	1,07,282.16	97
जोड़	974.00	372.97	38	1,270.00	1,063.19	84
	3,45,513.44	3,27,156.77	95	2,45,276.39	2,35,799.98	96

परिशिष्ट-3

वाणिज्यिक प्राप्तियां 2019-20

(₹ करोड़)

विवरण	2019-20			2018-19		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
सामान्य सेवाएं						
1 कैंटीन स्टोर विभाग	19,703.00	17,812.01	90.40	16,775.00	19,469.67	116.06
आर्थिक सेवाएं						
2 दिल्ली दुग्ध योजना	390.27	354.76	90.90	390.27	359.20	92.04
3 अफीम एवं एल्केलायड फैक्ट्रियां	150.00	195.27	130.18	150.00	155.69	103.79
4 ईंधन निर्माण सुविधाएं	2,286.29	1,662.51	72.72	1,735.36	868.71	50.06
5 ईंधन माल सूची	2,416.67	615.09	25.45	1,859.02	2,420.54	130.21
6 भारी पानी पूल प्रबंधन	1,300.00	1,300.00	100.00	1,300.00	1,300.00	100.00
7 प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	320.00	316.95	99.05	320.00	293.98	91.87
8 डाक प्राप्तियां	19,203.29	13,558.20	70.60	18,000.44	13,195.68	73.31
9 भारतीय रेल	2,06,269.00	1,74,694.69	84.69	1,97,214.00	1,90,507.37	96.60
जोड़	2,52,038.52	2,10,509.48	83.52	2,37,744.09	2,28,570.84	96.14

लेखे एक नजर में

परिशिष्ट-4
(₹ करोड़)

2019-20 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 संशोधित अनुमान	2019-20 वास्तविक
1	कृषि	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	3,500.00 14,000.00 75,000.00	2,032.20 13,640.85 54,370.15	2,700.04 12,639.22 48,713.84
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	33,651.00 4,000.00 2,500.00 155.64	34,290.20 4,733.40 2,956.00 114.00	36,497.09 4,683.49 2,813.09 56.25
3	मानव संसाधन विकास	समग्र शिक्षा विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम	36,322.00 11,000.00 2,100.00 27,584.37	36,274.40 9,912.21 1,380.00 24,954.50	32,376.52 9,699.00 1,277.82 22,031.67
4	आवासन और शहरी कार्य	प्रधानमंत्री आवास योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका मेट्रो परियोजनाएं (राजस्व+पूंजीगत) शहरी सुधार मिशन - अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ भारत मिशन - शहरी	6,853.26 750.00 17,713.93 13,750.00 2,650.00	6,853.26 750.00 17,611.99 9,842.00 1,300.00	6,847.64 732.07 17,611.99 9,747.21 1,289.72

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 संशोधित अनुमान	2019-20 वास्तविक
5	विद्युत	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4,066.00	4,066.00	3,926.21
6	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	60,000.00 2,066.00 9,024.00 9,200.00 19,000.00 19,000.00	71,001.81 1,837.97 9,024.00 9,200.00 18,475.00 14,070.00	71,698.90 1,479.04 9,023.51 8,692.41 18,119.61 14,017.19
7	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन/जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण	10,001.00 9,994.00	10,001.00 8,338.22	10,030.56 8,215.70
8	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3,960.00	3,960.00	3,642.50
9	कौशल विकास और उद्यमिता	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,676.65	2,247.00	2,112.67
10	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा स्वच्छता	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	4,115.56	4,025.55	4,032.64
11	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीनीकरण विद्युत	4,272.15	3,089.64	2,818.45

वर्ष 2019-20 में मुख्य मदों पर व्यय

परिशिष्ट-5

(₹ करोड़)

अबे एक नजर में:

विवरण	प्रकार	2019-20	
		संशोधित	वास्तविक
पेंशन	राजस्व	1,84,147	1,83,955
रक्षा	राजस्व	2,05,902	2,07,572
	पूँजीगत	1,10,394	1,11,092
सहायिकी			
उर्वरक	राजस्व	79,998	81,124
खाद्य	राजस्व	1,08,688	1,08,688
पेट्रोलियम	राजस्व	38,569	38,529
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	राजस्व	1,19,523	1,11,186
	पूँजीगत	1,312	1,266
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	राजस्व	2,026	2,012
	पूँजीगत	644	646
शिक्षा	राजस्व	92,734	87,332
	पूँजीगत	2,120	2,105
ऊर्जा	राजस्व	31,871	33,209
	पूँजीगत	10,587	10,333
स्वास्थ्य	राजस्व	61,982	61,758
	पूँजीगत	1,848	1,667
ब्याज अदायगी	राजस्व	6,25,105	6,12,070
पुलिस	राजस्व	93,454	93,126
	पूँजीगत	9,748	8,902
परिवहन	राजस्व	17,931	16,941
	पूँजीगत	1,40,276	1,36,495
सूचना प्राद्योगिकी तथा दूरसंचार	राजस्व	10,807	15,400
	पूँजीगत	5,193	5,196

विवरण	प्रकार	2019-20	
		संशोधित	वास्तविक
ग्रामीण विकास	राजस्व पूँजीगत	1,43,354 55	1,42,372 13
राज्यों को अंतरण	राजस्व पूँजीगत	1,48,420 7,027	1,44,847 4,061
संघ राज्य क्षेत्र	राजस्व पूँजीगत	13,325 1,701	13,460 1,668
शहरी विकास	राजस्व पूँजीगत	23,070 19,197	22,749 19,305
कर प्रशासन	राजस्व पूँजीगत	15,383 724	14,947 475
जीएसटी मुआवजा कोष में स्थानांतरण	राजस्व	1,21,200	1,53,910
वित्त	राजस्व पूँजीगत	5,869 19,011	4,888 14,188
वैज्ञानिक विभाग	राजस्व पूँजीगत	20,249 7,445	20,029 7,337
समाज कल्याण	राजस्व पूँजीगत	47,509 701	43,991 696
वाणिज्य एवं उद्योग	राजस्व पूँजीगत	26,129 2,479	24,827 2,472
विदेश मामले	राजस्व पूँजीगत	16,239 1,133	16,041 1,205
डाक सेवाएं	राजस्व पूँजीगत	11,655 743	14,813 731
अन्य	राजस्व पूँजीगत	84,506 6,569	80,830 6,413
कुल	राजस्व पूँजीगत	23,49,645 3,48,907	23,50,605 3,36,265

परिशिष्ट-6
(₹ करोड़)

वर्ष 2019-20 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
1	कृषि मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	330.33
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.61
3	परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा	4,181.95
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	21.83
5	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	17.52
6	उर्वरक विभाग	23.38
7	औषध निर्माण विभाग	12.24
8	नागर विमानन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय	143.14
9	कोयला मंत्रालय कोयला मंत्रालय	28.48
10	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग	418.68
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	273.20

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
12	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	17,154.25
13	डाक विभाग दूरसंचार विभाग	570.17
14	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	77.63
15	उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	71.91
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	144.38
17	संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय	429.73
18	रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय (विविध) रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	5,347.63 1,47,971.54
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	24.17
23	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	445.11
24	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	871.29

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
25	पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	257.84
26	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	2,004.96
27	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	105.45
28	व्यय विभाग	117.16
29	वित्तीय सेवाएं विभाग	103.71
30	निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	8.45
31	राजस्व विभाग	366.97
32	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी	4,270.33
33	अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी	5,204.91
34	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग	4,166.63
39	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्यपालन विभाग	51.80
40	पशुपालन और डेयरी विभाग	114.27
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	16.51

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2,756.16
43	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3.39
44	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	19.91
45	भारी उद्योग विभाग लोक उद्यम विभाग	8.98
46	गृह मंत्रालय	1,275.73
47	गृह मंत्रालय मंत्रिमंडल	119.72
48	पुलिस	70,981.47
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,792.20
57	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय	24.24
58	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग	98.39
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	315.83
60	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	682.46

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
61	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14.26
62	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	390.79
63	विधि और न्याय	167.56
64	निर्वाचन आयोग	51.19
65	भारत का उच्चतम न्यायालय	229.54
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	153.18
67	खान मंत्रालय खान मंत्रालय	762.03
68	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	66.31
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	26.55
70	पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय	10.05
71	संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय	12.35

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
72	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	807.61
73	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सतर्कता आयोग	26.64
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	26.33
75	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	59.00
76	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	130.19
77	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय	39.93
78	लोक सभा	443.14
79	राज्य सभा	247.24
80	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	3.76
81	संघ लोक सेवा आयोग	114.45
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	91.56
84	ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग	42.79
85	भू-संसाधन विभाग	10.13

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	379.14
87	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	22.21
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	10.50
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
89	पोत परिवहन मंत्रालय	149.98
	पोत परिवहन मंत्रालय	
90	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	128.84
	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
91	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	52.88
92	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	11.61
	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	
93	अंतरिक्ष मंत्रालय	2,451.92
	अंतरिक्ष विभाग	
94	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	409.64
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
95	इस्पात मंत्रालय	23.22
	इस्पात मंत्रालय	
96	वस्त्र मंत्रालय	201.29
	वस्त्र मंत्रालय	

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
97	पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय	42.69
98	जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय	21.86
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय	39.78
100	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	30.77
49	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,922.77
50	चंडीगढ़	1,911.02
51	दादर एवं नगर हवेली	210.08
52	दमन एवं दीव	177.78
53	लक्षद्वीप	354.54
	कुल	2,85,909.74

परिशिष्ट-7
(₹ करोड़)

सहायिकियों का विवरण (2019-20)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य सहायिकियां...					
खाद्य सहायिकी	15	2408	1,84,220.00	1,08,688.35	1,08,688.35
उर्वरक सहायिकी			79,996.00	79,997.85	81,124.32
क. वसूली सहित यूरिया सहायिकी	6	2852	53,629.00	53,629.00	54,755.47
ख. पोषक तत्व संबंधी सहायिकी	6	2401	26,367.00	26,368.85	26,368.85
पेट्रोलियम सहायिकी			37,478.00	38,568.86	38,528.78
क. एलपीजी सहायिकी	74	2802	32,989.00	34,085.86	34,085.86
ख. केरोसीन सहायिकी	74	2802, 3601	4,489.00	4,483.00	4,442.92
कुल मुख्य सहायिकियां			3,01,694.00	2,27,255.06	2,28,341.45
ब्याज सहायिकियां...					
किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	1	2416,2552	18,000.00	17,863.43	16,218.74
आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायिकी	29	2885	0.01
वरिष्ठ नागरिकों संबंधी पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को	29	2235	160.00	117.01	117.01
ब्याज सहायिकी					
ब्याज समकरण योजना	10	3453	2,910.00	2,868.00	2,890.30
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी)- के लिए ऋण सम्बद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएएसएस)-I	56	2216	600.00	600.00	600.00

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि	14	3456	2,000.00	1,820.00	1,713.00
बाजार प्रचालन के लिए जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायिकी	96	2852	8.00	28.00	37.90
मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	96	2852	2,017.57	2,017.57	2,017.57
पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति	11	2885	483.53	543.53	583.52
गैर-केंद्रीय पीएसयू शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को अन्य सहायिकियां	89	2852	97.00	42.43	42.43
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	11	2885	133.00	133.01	132.99
चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम-2014	15	2408	60.00	5.00	शून्य
चीनी का बफर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम	15	2408	350.00	450.00	430.08
एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम	15	2408	100.00	50.00	50.00
चीनी मिलों को सुलभ ऋण देने हेतु स्कीम	15	2408	200.00	100.00	100.00
चीनी के निर्यात शिपमेंट के लिए चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन मालभाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	15	2408	0.63	0.63	0.63
निर्यात से संबंधित आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों पर आने वाले व्यय की अदायगी हेतु स्कीम	15	2408	500.00	550.00	550.00
कुल - अन्य सहायिकियां			10,343.04	10,356.25	10,260.15

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2019-20

(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्ति और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं।)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		सशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	1,01,904.00	94,251.62
	राजस्व	1,01,870.15	94,237.97
	पूँजीगत	33.85	13.65
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	7,846.17	7,523.37
	राजस्व	7,846.17	7,523.37
	पूँजीगत	0.00	0.00
3	परमाणु ऊर्जा	17,425.51	19,804.69
	राजस्व	9,350.90	11,729.20
	पूँजीगत	8,074.61	8,075.49
4	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	1,857.00	1,784.16
	राजस्व	1,856.80	1,784.16
	पूँजीगत	0.20	0.00
5	रसायन और पेट्रो रसायन	370.18	365.12
	राजस्व	370.18	365.12
	पूँजीगत	0.00	0.00
6	उर्वरक	80,035.00	81,144.25
	राजस्व	80,034.95	81,144.25
	पूँजीगत	0.05	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
7	औषध निर्माण	562.33	553.51
	राजस्व	229.15	220.36
	पूँजीगत	333.18	333.15
8	नागर विमानन	3,700.00	3,646.73
	राजस्व	3,674.99	3,625.36
	पूँजीगत	25.01	21.37
9	कोयला	933.60	823.00
	राजस्व	933.60	823.00
	पूँजीगत	0.00	0.00
10	वाणिज्य	7,219.32	6,881.94
	राजस्व	6,344.32	6,019.51
	पूँजीगत	875.00	862.43
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	6,490.00	6,404.19
	राजस्व	5,381.79	5,297.30
	पूँजीगत	1,108.21	1,106.89
12	डाक	12,398.49	15,543.70
	राजस्व	11,655.23	14,813.14
	पूँजीगत	743.26	730.56

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
13	दूरसंचार	23,350.49	28,395.43
	राजस्व	18,435.10	23,465.94
	पूँजीगत	4,915.39	4,929.49
14	उपभोक्ता मामले	2,050.00	1,923.26
	राजस्व	2,032.14	1,909.83
	पूँजीगत	17.86	13.43
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	1,15,240.39	1,15,172.52
	राजस्व	1,13,989.47	1,13,929.41
	पूँजीगत	1,250.92	1243.11
16	कारपोरेट कार्य	576.00	563.05
	राजस्व	563.50	550.60
	पूँजीगत	12.50	12.45
17	संस्कृति	2,547.00	2,494.82
	राजस्व	2,476.87	2,428.92
	पूँजीगत	70.13	65.90
18	रक्षा (विविध)	14,713.59	16,521.62
	राजस्व	9,736.54	11,574.97
	पूँजीगत	4,977.05	4,946.65

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
19	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2,05,901.76	2,07,572.15
	राजस्व	2,05,901.76	2,07,572.15
	पूंजीगत	0.00	0.00
20	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,10,394.31	1,11,092.43
	राजस्व	0.00	0.00
	पूंजीगत	1,10,394.31	1,11,092.43
21	रक्षा पेंशन	1,17,810.44	1,17,810.24
	राजस्व	1,17,810.44	1,17,810.24
	पूंजीगत	0.00	0.00
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	2,670.00	2,657.87
	राजस्व	2,026.30	2,012.17
	पूंजीगत	643.70	645.70
23	पृथ्वी विज्ञान	1,809.74	1,711.87
	राजस्व	1,691.74	1,606.66
	पूंजीगत	118.00	105.21
24	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	5,839.46	5,651.97
	राजस्व	5,561.46	5,385.37
	पूंजीगत	278.00	266.60

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
25	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	2,657.94	2,537.71
	राजस्व	2,611.39	2,500.06
	पूँजीगत	46.55	37.65
26	विदेश	17,372.27	17,245.54
	राजस्व	16,239.59	16,040.70
	पूँजीगत	1,132.68	1,204.84
27	आर्थिक कार्य	15,952.15	10,819.00
	राजस्व	3,308.53	2,994.28
	पूँजीगत	12,643.62	7,824.72
28	व्यय	485.55	413.71
	राजस्व	485.55	413.71
	पूँजीगत	0.00	0.00
29	वित्तीय सेवाएं	7,734.00	7,174.79
	राजस्व	1,378.99	824.31
	पूँजीगत	6,355.01	6,350.48
30	निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	132.08	105.08
	राजस्व	132.08	105.08
	पूँजीगत	0.00	0.00

लेखे एक नजर में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
31	राजस्व	1,22,066.00	1,54,649.24
	राजस्व	1,22,049.01	1,54,648.75
	पूँजीगत	16.99	0.49
32	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी	7,341.44	7,150.97
	राजस्व	7,041.42	6,952.29
	पूँजीगत	300.02	198.68
33	अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी	7,900.00	7,531.11
	राजस्व	7,493.15	7,255.66
	पूँजीगत	406.85	275.45
34	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	4,790.00	4,806.03
	राजस्व	4,774.00	4,795.16
	पूँजीगत	16.00	10.87
35	वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग)	6,25,105.23	6,12,070.03
	राजस्व	6,25,105.23	6,12,070.03
	पूँजीगत	0.00	0.00
36	वित्त-ऋण की पुनर्दायगी	0.00	0.00
	राजस्व	0.00	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
37	पेंशन	50,565.00	50,114.80
	राजस्व	50,565.00	50,114.80
	पूँजीगत	0.00	0.00
38	वित्त - राज्यों को अंतरण	1,55,447.00	1,48,907.46
	राजस्व	1,48,419.88	1,44,846.59
	पूँजीगत	7,027.12	4,060.87
39	मत्स्यपालन	700.00	650.79
	राजस्व	685.83	647.34
	पूँजीगत	14.17	3.45
40	पशुपालन और डेयरी	2,790.00	2,712.32
	राजस्व	2,776.58	2,706.64
	पूँजीगत	13.42	5.68
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1,042.79	830.00
	राजस्व	1,042.79	830.00
	पूँजीगत	0.00	0.00
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	62,659.12	62,397.08
	राजस्व	60,810.86	60,730.18
	पूँजीगत	1,848.26	1,666.90

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
43	स्वास्थ्य अनुसंधान	1,950.00	1,860.71
	राजस्व	1,950.00	1,860.71
	पूँजीगत	0.00	0.00
44	भारी उद्योग	1,308.61	1,274.22
	राजस्व	956.53	922.17
	पूँजीगत	352.08	352.05
45	लोक उद्यम	22.64	21.08
	राजस्व	22.64	21.08
	पूँजीगत	0.00	0.00
46	गृह	19,955.06	16,936.83
	राजस्व	19,634.38	16,626.50
	पूँजीगत	320.68	310.33
47	गृह - मन्त्रिमंडल	925.28	885.38
	राजस्व	925.28	885.38
	पूँजीगत	0.00	0.00
48	गृह - पुलिस	1,03,202.23	1,02,027.49
	राजस्व	93,454.58	93,125.51
	पूँजीगत	9,747.65	8,901.98

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
49	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,959.16	4,948.79
	राजस्व	4,442.60	4,447.61
	पूँजीगत	516.56	501.18
50	चंडीगढ़	4,187.99	4,143.54
	राजस्व	4,061.36	4,008.69
	पूँजीगत	126.63	134.85
51	दादर और नगर हवेली	1,942.61	1,178.96
	राजस्व	1,278.07	860.73
	पूँजीगत	664.54	318.23
52	दमन और दीव	0.00	936.36
	राजस्व	0.00	615.09
	पूँजीगत	0.00	321.27
53	लक्षद्वीप	1,297.86	1,297.29
	राजस्व	1,129.88	1,129.69
	पूँजीगत	167.98	167.60
54	दिल्ली को अंतरण	1,037.00	1,022.00
	राजस्व	812.00	797.00
	पूँजीगत	225.00	225.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
55	पुदुचेरी को अंतरण	1,601.00	1,600.98
	राजस्व	1,600.99	1,600.98
	पूँजीगत	0.01	0.00
56	आवासन और शहरी कार्य	42,266.72	42,054.36
	राजस्व	23,069.28	22,749.37
	पूँजीगत	19,197.44	19,304.99
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	56,536.63	52,520.20
	राजस्व	56,536.63	52,520.20
	पूँजीगत	0.00	0.00
58	उच्चतर शिक्षा	38,317.01	36,916.38
	राजस्व	36,197.01	34,811.39
	पूँजीगत	2,120.00	2,104.99
59	सूचना और प्रसारण	4,064.76	4,028.82
	राजस्व	4,059.24	4,024.53
	पूँजीगत	5.52	4.29
60	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	7,518.21	7,418.61
	राजस्व	7,198.73	7,109.21
	पूँजीगत	319.48	309.40

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
61	पेयजल और स्वच्छता	18,360.00	18,264.26
	राजस्व	18,360.00	18,264.26
	पूँजीगत	0.00	0.00
62	श्रम और रोजगार	11,184.09	10,083.75
	राजस्व	11,146.55	10,053.13
	पूँजीगत	37.54	30.62
63	विधि और न्याय	3,173.36	3,081.33
	राजस्व	3,063.36	3,031.71
	पूँजीगत	110.00	49.62
64	निर्वाचन आयोग	286.68	277.13
	राजस्व	255.46	245.91
	पूँजीगत	31.22	31.22
65	भारत का उच्चतम न्यायालय	296.55	296.55
	राजस्व	296.55	296.55
	पूँजीगत	0.00	0.00
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	7,011.29	6,697.64
	राजस्व	6,985.09	6,682.51
	पूँजीगत	26.20	15.13

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
67	खान	1,528.22	1,397.08
	राजस्व	1,441.35	1,315.69
	पूजीगत	86.87	81.39
68	अल्पसंख्यक कार्य	4,700.00	4,431.65
	राजस्व	4,539.98	4,271.65
	पूजीगत	160.02	160.00
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	3,891.74	3,308.83
	राजस्व	3,820.74	3,237.86
	पूजीगत	71.00	70.97
70	पंचायती राज	500.00	498.26
	राजस्व	500.00	498.26
	पूजीगत	0.00	0.00
71	संसदीय कार्य	42.62	18.90
	राजस्व	42.62	18.90
	पूजीगत	0.00	0.00
72	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1,705.00	1,663.55
	राजस्व	1,568.62	1,534.80
	पूजीगत	136.38	128.75

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
73	केंद्रीय सतर्कता आयोग	36.65	35.10
	राजस्व	36.65	35.10
	पूँजीगत	0.00	0.00
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	42,901.49	42,812.20
	राजस्व	42,282.44	42,240.61
	पूँजीगत	619.05	571.59
75	योजना	579.74	568.98
	राजस्व	579.20	568.98
	पूँजीगत	0.54	0.00
76	विद्युत	15,874.82	15,321.88
	राजस्व	14,052.70	13,706.82
	पूँजीगत	1,822.12	1,615.06
77	राष्ट्रपति का सचिवालय	74.42	69.19
	राजस्व	74.42	69.19
	पूँजीगत	0.00	0.00
78	लोक सभा	766.87	650.05
	राजस्व	766.87	650.05
	पूँजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
79	राज्य सभा	421.76	386.09
	राजस्व	421.76	386.09
	पूँजीगत	0.00	0.00
80	सचिवालय - उप-राष्ट्रपति	8.05	7.88
	राजस्व	8.05	7.88
	पूँजीगत	0.00	0.00
81	संघ लोक सेवा आयोग	298.16	297.96
	राजस्व	298.16	297.96
	पूँजीगत	0.00	0.00
82	रेलवे	69,967.37	69,972.12
	राजस्व	2,130.37	2,130.37
	पूँजीगत	67,837.00	67,841.75
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग	83,015.97	78,248.73
	राजस्व	10,853.57	9,875.23
	पूँजीगत	72,162.40	68,373.50
84	ग्रामीण विकास	1,22,649.00	1,22,098.18
	राजस्व	1,22,594.10	1,22,085.66
	पूँजीगत	54.90	12.52

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
85	भू-संसाधन	1,900.00	1,523.52
	राजस्व	1,900.00	1,523.52
	पूँजीगत	0.00	0.00
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5,480.93	5,407.03
	राजस्व	5,424.93	5,357.76
	पूँजीगत	56.00	49.27
87	जैव प्रौद्योगिकी	2,381.10	2,358.77
	राजस्व	2,381.10	2,358.77
	पूँजीगत	0.00	0.00
88	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	4,883.24	4,871.63
	राजस्व	4,876.59	4,869.64
	पूँजीगत	6.65	1.99
89	पोत परिवहन	1,523.40	1,569.07
	राजस्व	1,271.18	1,310.23
	पूँजीगत	252.22	258.84
90	कौशल विकास एवं उद्यमिता	2,531.04	2,404.98
	राजस्व	2,445.32	2,318.85
	पूँजीगत	85.72	86.13

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
91	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	8,885.00	8,712.62
	राजस्व	8,429.99	8,257.62
	पूँजीगत	455.01	455.00
92	दिव्यांगजन सशक्तीकरण	1,100.00	1,012.34
	राजस्व	1,099.08	1,011.42
	पूँजीगत	0.92	0.92
93	अंतरिक्ष	13,139.26	13,017.61
	राजस्व	5,874.72	5,836.59
	पूँजीगत	7,264.54	7,181.02
94	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	5,231.06	4,910.42
	राजस्व	5,216.33	4,900.50
	पूँजीगत	14.73	9.92
95	इस्यात	196.08	194.33
	राजस्व	196.08	194.33
	पूँजीगत	0.00	0.00
96	वस्त्र	4,831.48	4,428.10
	राजस्व	4,800.57	4,374.08
	पूँजीगत	30.91	54.02

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
97	पर्यटन	1,416.00	1,363.42
	राजस्व	1,416.00	1,363.42
	पूँजीगत	0.00	0.00
98	जनजातीय कार्य	7,340.16	7,327.57
	राजस्व	7,260.15	7,247.57
	पूँजीगत	80.01	80.00
99	महिला एवं बाल विकास	26,184.50	23,164.67
	राजस्व	26,179.49	23,164.44
	पूँजीगत	5.01	0.23
100	युवा मामले और खेल	2,776.92	2,636.06
	राजस्व	2,731.90	2,591.06
	पूँजीगत	45.02	45.00
	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग		
	कुल योग	26,98,552.14	26,86,870.60
	राजस्व	23,49,644.67	23,50,605.39
	पूँजीगत	3,48,907.47	3,36,265.21

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

परिशिष्ट-9

(₹ करोड़)

लेखे एक नजर में

वर्ष	राशि
2020-2021 में परिपक्वता	2,84,496.71
2021-2022 में परिपक्वता	2,20,933.12
2022-2023 में परिपक्वता	4,43,081.57
2023-2024 में परिपक्वता	3,95,521.12
2024-2025 में परिपक्वता	3,81,561.95
2025-2026 में परिपक्वता	2,99,031.81
2026-2027 में परिपक्वता	4,10,095.79
2027-2028 में परिपक्वता	4,52,875.78
2028-2029 में परिपक्वता	2,28,830.80
2029-2030 में परिपक्वता	3,10,878.07
2030-2031 में परिपक्वता	3,41,873.99
2031-2032 में परिपक्वता	2,68,938.81
2032-2033 में परिपक्वता	2,32,956.53
2033-2034 में परिपक्वता	2,62,721.47
2034-2035 में परिपक्वता	2,14,451.13
2035-2036 में परिपक्वता	1,04,245.00
2036-2037 में परिपक्वता	64,000.00
2038-2039 में परिपक्वता	51,150.90
2040-2041 में परिपक्वता	90,000.00
2041-2042 में परिपक्वता	90,000.00
2042-2043 में परिपक्वता	1,04,529.44
2043-2044 में परिपक्वता	1,16,472.28
2044-2045 में परिपक्वता	97,000.00
2045-2046 में परिपक्वता	98,000.00
2046-2047 में परिपक्वता	1,00,000.00
2049-2050 में परिपक्वता	84,000.00
2051-2052 में परिपक्वता	55,000.00
2055-2056 में परिपक्वता	1,00,000.00
2059-2060 में परिपक्वता	83,461.95
कुल	59,86,108.22

वर्ष 2019-20 के लिए ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

क्र. संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
001	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	1,30,450.60		94,497.80		35,952.80	
002	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	8,078.79		7,844.99		233.80	
003	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत		9,579.69		9,458.77		120.92
004	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय स्वीकृत	2,445.61		1,833.60		612.01	
008	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	4,475.01		3,625.45		849.56	
009	कोयला मंत्रालय स्वीकृत	1,159.06		823.00		336.06	
013	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	30,693.65		26,392.44		4,301.21	
014	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	2,240.34		1,928.94		311.40	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
015	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,90,914.29	51,326.14	1,13,931.14	1,243.11	76,983.15	50,083.03
017	स्वीकृत संस्कृति मंत्रालय	2,953.24		2,434.50		518.74	
022	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,316.89		2,024.01		292.88	
023	स्वीकृत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,765.07		1,620.39		144.68	
024	स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6,306.04		5,531.70		774.34	
025	स्वीकृत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2,998.25		2,573.80		424.45	
026	स्वीकृत विदेश मंत्रालय	16,511.21	1,373.56	16,066.18	1,205.88	445.03	167.68
027	स्वीकृत आर्थिक कार्य विभाग	3,803.48	24,779.14	3,475.59	12,728.09	327.89	12,051.05
029	स्वीकृत वित्तीय सेवाएं विभाग	1678.99		1,035.41		643.58	
032	स्वीकृत प्रत्यक्ष कर	7218.40		6,955.38		263.02	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
033	अप्रत्यक्ष कर						
035	स्वीकृत विनियोग - ब्याज अदायगियां	7493.15	406.87	7,259.79	275.45	233.36	131.42
036	प्रभारित स्वीकृत विनियोग - ऋण की पुनर्दायगी	673470.60		65,5372.01		18,098.59	
037	प्रभारित स्वीकृत पेंशन		63,46,389.00		63,26,548.77		19,840.23
038	स्वीकृत राज्यों को अंतरण	51,179.90		49,766.58		1,413.32	
039	प्रभारित स्वीकृत मत्स्यपालन विभाग	32,480.01	25,100.00	26,194.08	24,667.94	6,285.93	432.06
040	स्वीकृत पशुपालन और डेयरी विभाग	790.59		660.18		130.41	
041	स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	3,319.68		3,125.37		194.31	
	स्वीकृत	1,196.62		845.54		351.08	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
042	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	90,145.37	2,945.23	66,575.56	2,799.23	23,569.81	146.00
043	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	3,424.67		1,860.98		1,563.69	
046	गृह मंत्रालय स्वीकृत	16,803.88		16,630.46		173.42	
048	पुलिस स्वीकृत	94,998.38	10,811.91	94,513.92	8,917.81	484.46	1,894.10
056	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वीकृत	35,421.34	19,551.89	22,953.57	19,259.15	12,467.77	292.74
057	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	1,02,597.83		87,520.84		15,077.00	
058	उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	52,058.90		34,831.64		17,227.26	
059	सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत	4,361.68		4,028.07		333.61	
060	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय स्वीकृत	7,890.16		7,179.89		710.27	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
061	पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वीकृत	27,766.73		26,016.57		1,750.16	
062	श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	11,151.70		10,054.41		1,097.29	
066	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	6,984.29		6,702.41		281.88	
067	खान मंत्रालय स्वीकृत	1,717.98		1,385.30		332.68	
068	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वीकृत	4,600.01		4,345.10		254.91	
069	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	5,209.85		3,491.14		1,718.71	
070	पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	871.37		498.27		373.10	
074	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	43,834.55	1,667.31	42,240.64	571.59	1,593.91	1,095.72
076	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	19,534.36	3,365.93	18,642.59	2,492.51	891.77	873.42

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
078	लोक सभा						
083	स्वीकृत सड़क और परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	807.83		649.54		158.29	
084	स्वीकृत ग्रामीण विकास विभाग	21,619.84	144986.82	18,298.73	1,33,862.62	3,321.11	11,124.20
085	स्वीकृत भू-संसाधन विभाग	2,07,774.04		2,04,822.23		2,951.81	
086	स्वीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,227.24		1,535.12		692.12	
087	स्वीकृत जैव प्रौद्योगिकी विभाग	5,564.10		5,403.76		160.34	
089	स्वीकृत पोत परिवहन मंत्रालय	2,580.35		2,358.77		221.58	
090	स्वीकृत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	2,071.23		1,646.38		424.85	
091	स्वीकृत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	2,926.13		2,321.70		604.43	
	स्वीकृत	8,430.04		8,283.41		146.63	

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
092	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वीकृत	1,163.71		1,015.26		148.45	
094	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	5,216.35		4,909.38		306.97	
096	वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत	4,800.62		4,401.17		399.45	
097	पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	2,189.23		1,399.21		790.02	
099	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	29,664.93		23,179.60		6,485.33	

परिशिष्ट-11
(₹ हजार)

विनियोग लेखे 2019-20 का सारांश

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	130450,60,00	34,70,00	94497,80,24	13,65,13	35952,79,76	21,04,87
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	8078,79,00	..	7844,99,17	..	233,79,83
3 परमाणु ऊर्जा प्रभारित स्वीकृत	1,00,00	10,00,00	43,02	4,95,33	56,98	5,04,67
4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय स्वीकृत	15504,88,00	9579,69,00	15415,92,92	9458,77,46	88,95,08	120,91,54
5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग स्वीकृत	2445,61,00	21,00	1833,60,10	..	612,00,90	21,00
6 उर्वरक विभाग स्वीकृत	370,18,00	..	365,12,16	..	5,05,84
7 औषध निर्माण विभाग स्वीकृत	83514,96,00	5,00	83507,27,22	..	7,68,78	5,00
8 नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	230,46,00	333,18,00	227,11,32	333,15,00	3,34,68	3,00
	4475,01,00	25,01,00	3625,45,32	21,36,49	849,55,68	3,64,51

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
9 कोयला मंत्रालय स्वीकृत	1159,06,00	..	822,99,89	..	336,06,11
10 वाणिज्य विभाग प्रभारित	50,00	..	8,20	..	41,80
स्वीकृत	6078,31,00	919,97,00	6024,38,97	919,96,34	53,92,03	66
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्वीकृत	5402,32,00	1108,22,00	5316,40,36	1106,88,82	85,91,64	1,33,18
13 दूरसंचार विभाग स्वीकृत	30693,65,00	9719,72,00	26392,44,26	9634,49,24	4301,20,74	85,22,76
14 उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	2240,34,00	51,50,00	1928,93,78	13,43,25	311,40,22	38,06,75
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रभारित	1,00	..	39	..	61
स्वीकृत	190914,29,00	51326,14,00	113931,14,47	1243,10,58	76983,14,53	50083,03,42
16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	598,84,00	41,00,00	569,65,84	12,45,31	29,18,16	28,54,69
17 संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	2953,24,00	89,15,00	2434,49,98	65,89,95	518,74,02	23,25,05
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) प्रभारित	73,00	40,00,00	22,90	35,22,68	50,10	4,77,32
स्वीकृत	29488,81,00	7187,05,00	29436,74,60	7179,55,79	52,06,40	7,49,21

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
21 रक्षा पेंशन प्रभारित	5,80,00	..	7,79,74	1,99,74 (1,99,73,484)	..
स्वीकृत	117804,64,00	..	117802,44,59	..	2,19,41
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	2316,89,00	767,22,00	2024,01,05	673,58,17	292,87,95	93,63,83
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	1765,07,00	141,01,00	1620,38,85	105,20,95	144,68,15	35,80,05
24 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत	6306,04,00	348,01,00	5531,70,25	266,59,91	774,33,75	81,41,09
25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रभारित	..	29,00	29,00
स्वीकृत	2998,25,00	64,54,00	2573,80,00	37,65,00	424,45,00	26,89,00
26 विदेश मंत्रालय प्रभारित	3,00	3,00
स्वीकृत	16511,21,00	1373,56,00	16066,17,86	1205,87,58	445,03,14	167,68,42
27 आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत	3803,48,00	24779,14,00	3475,59,31	12728,09,28	327,88,69	12051,04,72
28 व्यय विभाग स्वीकृत	442,88,00	..	413,72,96	..	29,15,04

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
29 वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत	1678,99,00	82205,04,00	1035,41,29	82198,11,00	643,57,71	6,93,00
30 निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग स्वीकृत	132,08,00	..	105,09,78	..	26,98,22
31 राजस्व विभाग प्रभारित	2,00	2,00
स्वीकृत	243488,75,00	17,00,00	275423,22,61	6,69,67	..	10,30,33	31934,47,61 (31934,47,61,000)	..
32 प्रत्यक्ष कर स्वीकृत	7218,40,00	302,04,00	6955,38,07	227,34,04	263,01,93	74,69,96
33 अप्रत्यक्ष कर प्रभारित	50,00	..	2,21	..	47,79
स्वीकृत	7493,15,00	406,87,00	7259,78,78	275,44,59	233,36,22	131,42,41
34 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग प्रभारित	177,69,00	..	168,02,93	..	9,66,07
स्वीकृत	4947,61,00	16,00,00	4929,46,51	10,87,36	18,14,49	5,12,64
35 विनियोग-ब्याज अदायगियां प्रभारित	673470,60,00	..	655372,01,45	..	18098,58,55
36 विनियोग-ऋण की पुनर्दायगी प्रभारित	..	6346389,00,00	..	6326548,77,27	..	19840,22,73

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
37 पेंशन प्रभारित स्वीकृत	385,10,00	..	365,86,81	..	19,23,19
38 राज्यों को अंतरण प्रभारित स्वीकृत	51179,90,00	..	49766,57,65	..	1413,32,35
39 मत्स्यपालन विभाग स्वीकृत	123709,88,00	25100,00,00	123709,87,32	24667,93,99	68	432,06,01
40 पशुपालन और डेयरी विभाग स्वीकृत	32480,01,00	..	26194,07,67	..	6285,93,33
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	790,59,00	14,17,00	660,18,35	3,45,08	130,40,65	10,71,92
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	3319,68,00	41,64,00	3125,37,28	5,67,65	194,30,72	35,96,35
43 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	1196,62,00	..	845,53,96	..	351,08,04
44 भारी उद्योग विभाग स्वीकृत	90145,37,00	2945,23,00	66575,55,62	2799,22,97	23569,81,38	146,00,03
45 लोक उद्यम विभाग स्वीकृत	3424,67,00	..	1860,98,08	..	1563,68,92
	980,74,00	386,27,00	954,13,77	352,05,01	26,60,23	34,21,99
	22,64,00	..	21,09,22	..	1,54,78

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
46 गृह मंत्रालय प्रभारित	2,00	2,00
स्वीकृत	16803,88,00	320,68,00	16630,46,48	310,32,76	173,41,52	10,35,24
47 मंत्रिमंडल स्वीकृत	925,28,00	..	888,25,60	..	37,02,40
48 पुलिस प्रभारित	7,49,00	6,33,00	3,23,55	1,78,77	4,25,45	4,54,23
स्वीकृत	94998,38,00	10811,91,00	94513,92,07	8917,81,15	484,45,93	1894,09,85
49 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रभारित	1,00	..	97	..	3
स्वीकृत	4502,17,00	601,79,00	4485,15,09	522,18,59	17,01,91	79,60,41
50 चंडीगढ़ प्रभारित	42,01,00	85,00,00	31,75,64	85,00,00	10,25,36
स्वीकृत	4384,56,00	397,63,00	4336,84,38	375,94,82	47,71,62	21,68,18
51 दादर और नगर हवेली प्रभारित	1,00	1,00
स्वीकृत	871,19,00	322,06,00	863,84,83	318,22,67	7,34,17	3,83,33
52 दमन और दीव प्रभारित	2,00	2,00
स्वीकृत	1778,98,00	342,52,00	1735,78,45	324,86,55	43,19,55	17,65,45

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
53 लक्षद्वीप स्वीकृत	1156,39,00	186,39,00	1146,38,78	167,61,12	10,00,22	18,77,88
54 दिल्ली को अनुदान स्वीकृत	812,00,00	300,00,00	797,00,00	225,00,00	15,00,00	75,00,00
55 पुदुचेरी को अंतरण स्वीकृत	1600,99,00	1,00	1600,99,00	1,00
56 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रभारित	100,92,00	71,92,00	95,07,14	45,84,18	5,84,86	26,07,82
स्वीकृत	35421,34,00	19551,89,00	22953,57,39	19259,15,05	12467,76,61	292,73,95
57 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	102597,83,00	..	87520,83,50	..	15076,99,50
58 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	52058,90,00	2120,00,00	34831,64,48	2104,98,86	17227,25,52	15,01,14
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत	4361,68,00	13,54,00	4028,07,12	4,29,32	333,60,88	9,24,68
60 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय प्रभारित	..	1,00	1,00
स्वीकृत	7890,16,00	414,48,00	7179,89,14	318,03,07	710,26,86	96,44,93

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
61 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वीकृत	27766,73,00	..	26016,57,19	..	1750,15,81
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	11151,70,00	37,54,00	10054,40,71	30,62,24	1097,29,29	6,91,76
63 विधि और न्याय स्वीकृत	3203,38,00	135,01,00	3171,90,63	49,61,90	31,47,37	85,39,10
64 निर्वाचन आयोग स्वीकृत	261,68,00	31,22,00	248,70,48	31,22,00	12,97,52
65 विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय प्रभारित	296,55,00	..	296,55,00
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	6984,29,00	27,02,00	6702,40,56	15,13,30	281,88,44	11,88,70
67 खान मंत्रालय स्वीकृत	1717,98,00	107,57,00	1385,29,52	81,38,88	332,68,48	26,18,12
68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	4600,01,00	160,02,00	4345,10,41	160,00,00	254,90,59	2,00
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	5209,85,00	105,00,00	3491,13,59	70,96,96	1718,71,41	34,03,04
70 पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	871,37,00	..	498,26,68	..	373,10,32

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
71 संसदीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	42,62,00	..	18,89,89	..	23,72,11
72 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रभारित	96,99,00	6,65,00	16,81,38	..	80,17,62	6,65,00
स्वीकृत	1550,12,00	139,27,00	1522,65,99	128,74,86	27,46,01	10,52,14
73 विनियोग-केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रभारित	36,65,00	..	35,09,98	..	1,55,02
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	43834,55,00	1667,31,00	42240,63,65	571,59,46	1593,91,35	1095,71,54
75 योजना मंत्रालय स्वीकृत	604,48,00	1,11,00	574,03,46	..	30,44,54	1,11,00
76 विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	19534,36,00	3365,93,00	18642,59,44	2492,50,60	891,76,56	873,42,40
77 विनियोग-राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते प्रभारित	76,33,00	..	69,26,21	..	7,06,79
78 लोक सभा प्रभारित	1,30,00	..	51,04	..	78,96
स्वीकृत	807,83,00	..	649,53,95	..	158,29,05

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
79 राज्य सभा प्रभारित	1,52,00	..	1,00,12	..	51,88
स्वीकृत	419,53,00	..	385,14,25	..	34,38,75
80 उपराष्ट्रपति का सचिवालय स्वीकृत	8,30,00	..	7,88,43	..	41,57
81 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग प्रभारित	298,45,00	..	297,96,96	..	48,04
83 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रभारित	..	10,00,00	10,00,00
स्वीकृत	21619,84,00	144986,82,00	18298,73,37	133862,61,75	3321,10,63	11124,20,25
84 ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	207774,04,00	100,00,00	204822,23,09	12,51,89	2951,80,91	87,48,11
85 भू-संसाधन विभाग स्वीकृत	2227,24,00	..	1535,12,01	..	692,11,99
86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रभारित	2,00	2,00
स्वीकृत	5564,10,00	90,01,00	5403,75,86	49,26,68	160,34,14	40,74,32
87 जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	2580,35,00	..	2358,76,54	..	221,58,46

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
88 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग								
स्वीकृत	4886,25,00	9,65,00	4870,52,48	1,98,68	15,72,52	7,66,32
89 पोत परिवहन मंत्रालय								
स्वीकृत	2071,23,00	582,44,00	1646,37,61	547,07,96	424,85,39	35,36,04
90 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय								
स्वीकृत	2926,13,00	113,11,00	2321,69,53	86,13,26	604,43,47	26,97,74
91 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
स्वीकृत	8430,04,00	455,03,00	8283,41,31	455,00,00	146,62,69	3,00
92 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग								
स्वीकृत	1163,71,00	41,21,00	1015,26,06	92,00	148,44,94	40,29,00
93 अंतरिक्ष विभाग								
प्रभारित	60,00	40,00	60,00	7,46	..	32,54
स्वीकृत	5874,14,00	7264,15,00	5850,48,39	7182,13,31	23,65,61	82,01,69
94 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
स्वीकृत	5216,35,00	14,73,00	4909,38,32	9,91,76	306,96,68	4,81,24
95 इस्पात मंत्रालय								
स्वीकृत	241,29,00	..	194,33,38	..	46,95,62

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
96 वस्त्र मंत्रालय प्रभारित	..	17,00,00	..	17,00,00
स्वीकृत	4800,62,00	39,71,00	4401,17,01	37,02,07	399,44,99	2,68,93
97 पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	2189,23,00	1,00	1399,20,76	..	790,02,24	1,00
98 जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभारित	5982,14,00	..	5982,07,83	..	6,17
स्वीकृत	1278,03,00	80,01,00	1265,58,82	80,00,00	12,44,18	1,00
99 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	29664,93,00	5,01,00	23179,60,47	23,09	6485,32,53	4,77,91
100 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय स्वीकृत	2731,91,00	45,02,00	2662,15,04	45,00,00	69,75,96	2,00
कुल प्रभारित	804692,89,00	6371736,60,00	786454,30,79	6351406,59,68	18240,57,95	20330,00,32	1,99,74	..
स्वीकृत	1885018,95,00	389210,14,00	1687279,89,30	309748,68,23	229673,53,31	79461,45,77	(1,99,73,484)	..
							31934,47,61	(31934,47,61,000)

परिशिष्ट-12
(₹ करोड़)

वस्तु शीर्षवार व्यय 2019-20

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
01	वेतन	1,37,649	316	1,37,965
02	मजदूरी	1,415	0	1,415
03	समयोपरि भत्ता	89	9	98
04	पेंशन प्रभार	1,91,628	0	1,91,628
05	पुरस्कार	114	0	114
06	चिकित्सा उपचार	3,928	0	3,928
11	घरेलू यात्रा व्यय	4,412	15	4,427
12	विदेश यात्रा व्यय	625	2	627
13	कार्यालय व्यय	9,980	49	10,029
14	किराया, दर और कर	3,124	2	3,126
16	प्रकाशन	1,001	0	1,001
17	बैंक नकद परिवहन टैक्स	0	0	0
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,019	1	1,020
21	आपूर्ति और सामग्री	34,625	2,470	37,095
22	हथियार और गोला बारूद	1,100	0	1,100
23	राशन की लागत	5,761	0	5,761

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
24	पी.ओ.एल	1,497	0	1,497
25	क्लोदिंग और टेन्टेज	708	0	708
26	विज्ञापन और प्रचार	1,798	5	1,803
27	लघु निर्माण कार्य	7,634	86	7,720
28	व्यावसायिक सेवाएं	9,081	333	9,414
30	अन्य सविदागत सेवाएं	3,819	29	3,848
31	सहायता अनुदान सामान्य	5,65,861	235	5,66,096
32	अंशदान	26,581	66	26,647
33	सब्सिडी	2,75,700	0	2,75,700
34	छात्रवृत्ति/वृत्तिका	3,395	0	3,395
35	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,87,342	0	1,87,342
36	सहायता अनुदान वेतन	43,190	0	43,190
41	गुप्त सेवा व्यय	286	0	286
42	एकमुश्त प्रावधान	1	0	1
43	उचंत्	81	0	81
45	ब्याज	6,56,812	0	6,56,812
50	अन्य प्रभार	18,238	0	18,238
51	मोटर वाहन	11	1,114	1,125

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
52	मशीनरी और उपस्कर	15	8,138	8,153
53	मुख्य निर्माण कार्य	0	54,413	54,413
54	निवेश	0	1,33,114	1,33,114
55	कर्ज और अग्रिम	0	44,910	44,910
56	उधार की पुनर्भत्तयगी	0	63,26,549	63,26,549
60	अन्य पूंजीगत व्यय	2	16,870	16,872
61	मूल्यहास	24	0	24
62	आरक्षित निधि	121	0	121
63	अंतर लेखा अंतरण	3,03,935	73,134	3,77,069
64	बट्टे खाते/हानि	119	0	119
70	घटाएं वसूलियां	-2,79,523	-81,385	-3,60,908
कुल		22,23,198	65,80,475	88,03,673
वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा बुक किया गया व्यय				
	रेल	1,76,825	67,866	2,44,691
	रक्षा	2,15,297	1,11,093	3,26,390
कुल		3,92,122	1,78,959	5,71,081
कुल जोड़		26,15,320	67,59,434	93,74,754

महालेखा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

महालेखा नियंत्रक भवन

जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक-ई, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

फोन : +91-11-24665581, फैक्स : +91-11-24665576

वेबसाइट : www.cga.nic.in, <https://pfms.nic.in>